उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3

संख्या-05/2017/एस-3-180/दस-2017-100(10)/2009

लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2017

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

निदेशक कोषागार के पत्र संख्या 3380/कम्प्यू/150/मिशनमोड प्रोजेक्ट -।।।(2)/को0नि0/2016 दिनांक 03-02-2017 के संदर्भ में प्रदेश के कोषागारों में कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित समस्त हार्डवेयर/साफ्टवेयर, कनेक्टिविटी एवं जनरेटर आदि के क्रय किये जाने हेतु कोषागार निदेशालय की विभागीय क्रय समिति के गठन के संबंध में क्रयार्थ मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत शासन को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 08/78-आई0टी0-2-2001 दिनांक 12-सितम्बर,2001 के प्रस्तर-4 एवं शासनादेश संख्या-1518/78/आई0टी0-2-2002 दिनांक 16-08-2002 के प्रस्तर-6 में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में एतद्द्वारा कोषागार निदेशालय में निम्नवत विभागीय क्रय समिति गठित की जाती है-

1-	निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ।	-अध्यक्ष
2-	अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	-सदस्य
3-	विशेष कार्याधिकारी, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	-सदस्य
4-	निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ। अथवा इनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	-सदस्य
5-	निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, लखनऊ।	-सदस्य
6-	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि	-सदस्य

2- उक्तानुसार गठित समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रदेश के कोषारों में कम्प्यूटराइजेशन के अन्तर्गत कम्प्यूटर से संबंधित समस्त हार्डवेयर/साफ्टवेयर, कनेक्टिविटी एवं जनरेटर आदि के क्रय किये जाने हेतु नियमानुसार विधिवत समस्त प्रकियागत कार्यवाही पूर्ण करते हुए तथा निर्धारित की गयी तकनीकी विशिष्टियों के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के क्रय हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 08/78-आई0टी0-2-2001 दिनांक 12-सितम्बर,2001 के प्रस्तर-2(ख) में उल्लिखित संस्थाओं -यू0पी0डेस्को, यू0पी0इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0, अपट्रान पावर ट्रानिक्स लि0 तथा श्रीट्रान इण्डिया लि0 एवं निक्सी से भी तुलनात्मक दरें प्राप्त कर अपनी संस्तुतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि क्रय आदेश निर्गत करते हुए बजट में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सके ।

(कुमुदलता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>पत्र संख्या-05/2017/एस-3-180(1)/दस-2017-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त/ निजी सचिव, सचिव वित्त को अपर मुख्य सचिव एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
2- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ ।
4- उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ ।
5- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- विशेष कार्याधिकारी , कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
8- प्रबन्धक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन , उ0प्र0 लखनऊ ।
10- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।